|| न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर ||

पीठासीन अधिकारी : माहादीन शर्मा, आई.ए.एस.

42

अपील संख्या 02/2015

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंट
पीरचन्द पुत्र श्री पदमाराम जाति भील निवासी छायण तहसील पोकरण जिला जैसलमेर		सरकार जरिये तहसीलदार पोकरण

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 4692 जो तहसीलदार पोकरण द्वारा दिनांक 15.09.2009 को स्वीकृत किया गया।

उपस्थित :

1. श्री मुल्तानाराम बारूपाल अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से
2. नायब तहसीलदार जैसलमेर पेरोकार राज प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक : 20 अप्रेल, 2017

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी के अनुसार उसने नरप्रताप सिंह पुत्र मेहताब सिंह राजपूत निवासी नेहरू नगर, जैसलमेर रोड़, पोकरण से कृषि भूखण्ड संख्या 223 साईज 25 फीट गुणा 50 फुट 1250 वर्ग फुट अर्थात् 1 बिस्वा 1 बिस्वांशी खसरा नम्बर 3113 / 932 ग्राम पोकरण तहसील पोकरण जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख क्रय किया था, जिसका पंजीकरण दिनांक 16.06.2009 को उप पंजीयक पोकरण द्वारा किया गया। उक्त विक्रय विलेख में अपीलार्थी का नाम गलती से पीराराम पुत्र पदमाराम जाति मेघवाल दर्ज कर दिया गया, जबकि अपीलार्थी का नाम पीरचन्द पुत्र पदमाराम जाति भील है। उक्त विक्रय विलेख के आधार पर तहसीलदार पोकरण द्वारा नामान्तकरण संख्या 4692 दिनांक 15.09.2009 स्वीकृत किया गया। उक्त विक्रय विलेख में उक्त अशुद्धि को दुरूस्त करवाने हेतु शुद्धि पत्र उक्त विक्रेता द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में निष्पादित किया गया। उक्त शुद्धिपत्र का उप पंजीयक पोकरण द्वारा दिनांक 15.11.2011 को पंजीयन किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 28.01.2015 मय उक्त शुद्धि पत्र की प्रति तहसीलदार पोकरण को पेश कर उक्त अशुद्धि दुरूस्त करने का निवेदन किया गया, तब अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को बताया गया कि उक्त प्रश्नगत नामान्तकरण संख्या 4692 दिनांक 15.09.2009 स्वीकृत हो चुका है। जिसे निरस्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में अपील की जाए, जिससे व्यथित होकर प्रश्नगत नामान्तरण निरस्त कर सही नामान्तरण भरने हेतु यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुतीकरण में कारित विलम्ब को क्षम्य करने का अनुरोध किया गया है।

प्रत्यर्थी की ओर से अपील के जबाब में प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी के हक में पंजीकृत विक्रय विलेख के अनुसार प्रश्नगत नामान्तरण भरा जाकर स्वीकृत किया गया। अपीलार्थी द्वारा अपने नाम व जाति के शुद्धिकरण विलेख का पंजीयन दिनांक 15.11.2011 को करवाया गया है, इससे पूर्व प्रश्नगत नामान्तरण दिनांक 15.09.2009 को स्वीकृत हो चुका था। जबाब अपील में कथन किया गया है कि अपीलार्थी पीरचन्द पुत्र पदमाराम जाति से भील है।

धारा 5 परिसीमा अधिनिमय के प्रार्थना पत्र के संबंध में अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क रहा कि अपीलार्थी द्वारा अपने नाम व जाति की शुद्धि के संबंध में कराये विक्रय विलेख दिनांक 15.11.2011 की प्रति प्रत्यर्थी को प्रस्तुत कर प्रश्नगत नामान्तरण की शुद्धि हेतु आवेदन किया गया था। जिस पर आवेदित संशोधन के लिये

आश्वस्त किया गया था, परन्तु दिनांक 09.04.2015 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत नामान्तरण निरस्ती का कहा गया। जिस पर अपील दिनांक 28.04.2015 को प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुतीकरण में हुए विलम्ब को क्षम्य करने का अनुरोध किया गया। पेरोकार राज ने इसका विरोध किया। न्यायहित में प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर करना उपयुक्त अनुभव किया जाकर अपीलार्थी का अपील की समयावधि के बिन्दु पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया।

गुवावगुण के बिन्दु पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए अपीलार्थी द्वारा अपने नाम व जाति के शुद्ध लेखन के कराये पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर प्रश्नगत नामान्तरण निरस्त कर शुद्ध नाम व जाति अंकन करते हुए नामान्तरण स्वीकार कराने का अनुरोध चाहा। पेशेकार राज का तर्क रहा कि प्रश्नगत नामान्तरण पंजीकृत दस्तावेज में उल्लेखित नाम व जाति का अंकन करते हुए भरा जाकर स्वीकार किया गया है। अपीलार्थी द्वारा विक्रय विलेख में अपने नाम व जाति को शुद्ध अंकन का दस्तावेज दिनांक 15.11.2011 को कर पंजीयन कराया है, जो अभिलेख पर है। अतः संबंधित तथ्यों एवं कानूनी स्थिति पर विचार एवं मनन के आधार पर निष्कर्षतः स्थिति सामने आती है कि विक्रय पत्र की अशुद्वियों के संबंध में संशोधित विक्रय पत्र रजिस्टर्ड कराया गया है । अतः अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि प्रकरण में उक्त संशोधन के क्रम में गहन जॉच पड़ताल कर गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार निर्णय पारित किया जावे ।

निर्णय आज दिनांक 20 अप्रेल , 2017 सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर (राज.)

(मातादीन शर्मा)
जिला कलक्टर
जैसलमेर

जिला कलक्टर
जैसलमेर